

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 61/20

सन् 2020

जीसीएमएस संख्या 2020/00123

बउनवानी- शम्भू पुत्र हाबूडया जाति मीना निवासी भूखा तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाईमाधोपुर
बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 625/2020 निर्णय
दिनांक 31.07.2020 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :- 1. श्री राधेश्याम योगी
2. श्री तौफिक मोहम्मद

वकील अपीलान्त
पैरोकार राजस्व

-: निर्णय :-

दिनांक 05.02.2021

अपीलान्त द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 625/2020 में पारित निर्णय
दिनांक 31.07.2020 जिसके द्वारा अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर
अपीलान्त के विरुद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल करने के आदेश पारित किया गया है के
विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल
अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की
गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलों में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि
सम्बत् 2077 में वाके ग्राम पढाना तहसील सवाईमाधोपुर की गै.मु. बजंड की भूमि आराजी ख0न0 1041
रकबा 0.68 है0 पर तारबंदी, पक्का मकान, गै.मु. चाह बनाकर अतिक्रमण किये जाने के आशय की
रिपोर्ट तहसीलदार सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्त का
पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्त को
वास्तें सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी,
जिसकी पालना में अपीलान्त ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अतिचार करना स्वीकार
किया तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की
जॉच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयान के आधार पर अपीलान्त का
पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जैर अपील पारित किया है।
जिससे आहत होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील अपीलान्त ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत
मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत
करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं दिया है क्योंकि नोटिस की तामील अपीलान्त या उसके
परिवारजन को नहीं करवायी गयी है एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर
सम्यक जॉच नहीं की गयी एवं पटवार हल्का द्वारा रंजिशवश प्रस्तुत गलत व झूठी रिपोर्ट के आधार
पर ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। जबकि अपीलान्त ख0न0 1049 की आबादी हेतु
आरक्षित भूमि पर ही काबिज है जिसका पट्टा भी है तथा विवादित भूमि दो तहसीलों की सीमा पर
होने के कारण राजस्व विभाग की टीम द्वारा ईटीएस मशीन से सीमाज्ञान करवाने बाबत अपनी रिपोर्ट
में अंकित किया है। यह कथन भी किया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से
पूर्व अपीलान्त को नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के तहत विधिवत नोटिस जारी कर सुनवायी का समुचित
अवसर भी प्रदान नहीं किया गया एवं बिना सुने ही न्यायिक सिद्धान्तों के विरुद्ध जाकर अपीलान्त के
विरुद्ध इकतरफा में आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया जिसके कारण अपीलान्त अपनी प्रतिरक्षा
करने के अधिकार से महरूम हो गया। जहाँ तक अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण का प्रश्न है इस
सम्बन्ध में विधि में सुस्थापित है कि किसी भी व्यक्ति को पूर्व में किसी निर्णय के क्रियान्वयन में मौके
से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया हो तो उस व्यक्ति को पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं माना जा
सकता। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर अपीलान्त को कथित प्रश्नगत भूमि
पर से पूर्व में बेदखल किया गया हो, इस सम्बन्ध में अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का के लिये गये

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

प्रबल

इकतरफा बयान को विधि अनुरूप नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसमें अपीलान्त को पटवार हल्का से जिरह करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित कर सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना न्याय के विपरीत है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलान्त को आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.9.2020 को पुलिस वाले वारण्ट लेकर गांव आने पर घरवालों के बताये जाने पर प्राप्त होने पर हुई, प्राप्त जानकारी के अनुसार मुझ अपीलान्त के विरुद्ध पारित आदेश की अपील व लिमि0 प्रार्थना पत्र दफा-5 मय शपथ पत्र के डेट ऑफ नॉलेज के आधार पर अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। जिसमें विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुये अपील अन्दर मियाद शुमार फरवायी जावे एवं आदेश जैर अपील खारिज कर अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि प्रथम तो अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं विलम्ब बाबत अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्त ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्त की सुनवायी का जहाँ तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अपीलान्त को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया गया जिस पर सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत अपीलान्त के नोटिस की उसकी पुत्री से करवायी गयी विधिवत तामील से हो जाती है। जिसकी पालना में अपीलान्त ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश नहीं किया, जिसके आधार पर अपीलान्त को सुनवायी का अवसर दिये जाने से सम्बन्धित तथ्यों की स्वतः पुष्टि हो जाती है। तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जाँच तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयानों के आधार पर अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जाँच आदेश जैर अपील पारित किया है। इसके अतिरिक्त आम जनता एवं सरपंच ग्राम पंचायत पढाना द्वारा ग्राम पढाना द्वारा अपीलान्त द्वारा किये गये अवैध कब्जाकर बजरी खनन किये जाने की बार बार शिकायते प्राप्त होने पर अपीलान्त के विरुद्ध उक्त कार्यवाही की गयी है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसको यथावत रखते हुये अपील अपीलान्त खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्त को विधिवत सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्त की तलवी हेतु जारी नोटिस की अपीलान्त के पुत्र से करवायी गयी तामील से हो जाती है। जहाँ तक अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयानों के आधार पर हो जाती है। उक्त अतिक्रमण को लेकर आम जनता पढाना एवं सरपंच ग्राम पंचायत पढाना द्वारा की जा रही शिकायतों एवं अतिक्रमण से संबंधित फोटोग्राफ को भी नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी दिनांक 21.9.2020 को बेदखल करने बाद पुनः झोपडी बनाकर अतिक्रमण करने से यह सिद्ध होता है कि अपीलान्त को उक्त भूमि पर से अपना अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत आदेश जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता हूँ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्त के विरुद्ध नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर